

जिला

फार्म क्र०.....

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजनांतर्गत
व्यवसाय हेतु ऋण के लिये आवेदन-पत्र

नाम.....

प्रति,

.....

आवेदक का
पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्वप्रमाणित)

आवेदक से संबंधित विवरण

1. आवेदक का पूरा नाम..... उम्र.....
2. पिता का नाम..... जाति/उपजाति.....
पति का नाम (महिलाओं के लिए)
3. स्थायी पता.....
मकान नं०..... वार्ड नं०..... तहसील..... जिला.....
4. वर्तमान पता.....
मकान नं०..... वार्ड नं०..... मोहल्ला.....
तहसील..... जिला..... राशन कार्ड नम्बर.....
5. शैक्षणिक योग्यता.....
6. पिता/पति का व्यवसाय
7. दूरभाष नं०..... मोबाईल नं०.....
8. निगम/बैंक/शासन की किसी भी योजनाओं में लिए गए ऋण का विवरण-

निगम/बैंक/सरकारी संस्था का नाम	योजना का नाम	कर्ज की राशि
1.	2.	3.

प्रमाण-पत्र

में श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.

..... सत्यनिष्ठा से प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त कडिका 1 से 8 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मुझे स्वीकृत किये जाने वाले कर्ज की राशि मेरे द्वारा उसी व्यवसाय के लिये उपयोग में ली जायेगी, जिसके लिये यह स्वीकृत की गई है। यदि इस धनराशि का मेरे द्वारा अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है उस दशा में मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। साथ ही उक्त रकम एक मुह्त मेरे से वसूल की जावे। मेरे परिवार में अन्य कोई भी व्यक्ति सेवा में नहीं है। मैं बैंक के द्वारा दिये जाने वाले कर्ज की अदायगी नियमित रूप से करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है, जिसकी सत्यता की पुष्टि के लिये निम्नानुसार दो व्यक्तियों की साह्य दे रहा/रही हूँ।

साह्यदार:

- 1.....
- 2.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

चेक लिस्ट

1. पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र (अ.वि.अ.).....संलग्न-1
2. आय प्रमाण पत्र (अ.वि.अ.या तहसीलदार द्वारा).....संलग्न-2
3. राशन कार्ड अथवा अन्य कोई परिचयात्मक दस्तावेज.....संलग्न-3
4. निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल, टेलीफोन बिल, ड्राईविंग लासेंस, बैंक पासबुक की छायाप्रति).....संलग्न-4
5. पासपोर्ट साईज दो फोटो.....संलग्न-5

उपरोक्त सभी चेक लिस्ट आवेदन के साथ संलग्न हैं। मेरा आवेदन स्वीकार योग्य है।

टीप- यदि उपरोक्त दस्तावेज नहीं होंगे तो आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

स्थान:.....

दिनांक:.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम.....

पं. नं. १००
२०१८

पं. नं. १००
२०१८

८. योग्यता

वैयक्तिक	कार्यकारी
----------	-----------

९. क्या उपरिलिखित विकास कार्यक्रम (न्यूनतम २ सप्ताह के) में भाग लिया है? (निशान लगाएँ)

हाँ नहीं

प्रशिक्षण संस्थान का नाम और पता	प्रशिक्षण की अवधि		प्रमाणपत्र निर्गम की तिथि
	से	तक	

१०. क्या आवेदक निम्नलिखित से संबंधित है (निशान लगाएँ)

अज्ञा	अजज्ञ	अपिज	शक्ति	पूर्व-सैनिक	अल्पसंख्यक	पहाड़ी सीमा क्षेत्र	सामान्य

११. परियोजना का प्रकार (निशान लगाएँ)

विनिर्माण इकाई स्वतंत्र/सेवा इकाई

१२. प्रस्तावित परियोजना/स्वतंत्र गतिविधि का नाम:

१३. अपेक्षित ऋण राशि (रु. में)

भवन का प्रकार (स्वयं तैयार/पट्टे पर/किराये पर)	पूँजीगत व्यय ऋण			कार्यशील पूँजी-नकद ऋण सीमा	जोड़
	वर्कशोड, भवन आदि	मशीनरी और उपकरण	परिचालन-पूर्व लागत		

१४. केंद्र/राज्य सरकार की योजना/या समान प्रकार की किसी अन्य योजना से पूर्व में लिए गए या वर्तमान कर्ण/अनुदान और सहायता का विवरण:

परियोजनागत गतिविधि और पता	राशि (रु. में)	मंजूरी का वर्ष

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि दी गई सभी सूचनाएँ सत्य हैं; और यह कि मैंने और मेरे किसी अभिलेख में ऐसा कोई परियोजना स्थापित करने के लिए केंद्र/किसी राज्य सरकार से या बैंक से सहायता सहित योजना के अंतर्गत कोई राशि उधार नहीं ली है।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी:

- निजी अशदान के रूप में अजा/अजजा/अपिवा/शावि/पूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी सीमाक्षेत्र के लिए ५% और सामान्य के लिए १०% निवेश होगा.
- कुल परियोजना लागत विनिर्माण इकाई के लिए रु. २५ लाख और व्यवसाय/सेवा इकाई के लिए रु. १० लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक को स्वयं के अशदान के मामले में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त मार्जिन राशि (सब्सिडी) पाने का अधिकार नहीं होगा.
- विनिर्माण इकाई के लिए रु. १० लाख और सेवा इकाई के लिए रु. ५ लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिए अभ्यर्थी को VIIIवीं कक्षा उत्तीर्ण होना होगा.
- आवेदनपत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए:
 १. शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र (विनिर्माण उद्योग में रु. १० लाख और सेवा उद्योग में रु. ५ लाख से अधिक की परियोजना लागत वाली इकाई के मामले में).
 २. अजा/अजजा/अपिवा/शावि/पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के मामले में संगत प्रमाणपत्र.
 ३. यदि उद्यमिता विकास कार्यक्रम (न्यूनतम २ सप्ताह के) प्रशिक्षण में भाग लिया है, तो प्रमाणपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें. केवल कार्यालयीन प्रयोग के लिए (अस्वीकृत/ जिला कार्ट दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए)

कारण (यदि अस्वीकार किया गया हो):

स्थान:

दिनांक:

अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

खाद्या आयोग/ खाद्या बोर्ड/ जिला उद्योग केंद्र

**खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम"
हेतु शपथ पत्र रूपये 10/- के स्टाम्प पेपर पर**

मैं..... आत्मज/पति श्री..... उग्र.....
निवासी (पूरा पता)..... निम्न बातें पूर्णतया
सही-सही ईश्वर की शपथ लेते हुए घोषित करता/करती हूँ -

1. मैं..... प्रोपाइटर (मालिक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" के अन्तर्गत वित्तीय सहायता व वित्तीय संस्था से ऋण लेकर नई औद्योगिक इकाई की स्थापना करूंगा/करूंगी तथा पूर्व में चल रही किसी भी इकाई में इस सहायता/ऋण का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी ।
2. यह इकाई मैं स्वयं अकेला/अकेली स्थापित करूंगा/करूंगी, इसमें किसी भी प्रकार की अन्य किराई की भी भागीदारी नहीं होगी ।
3. मैं किसी भी वित्तीय संस्था का किसी भी प्रकार का दोषी (डिफाल्टर) नहीं हूँ तथा न ही कभी दिवालिया घोषित किया गया हूँ ।
4. मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभी नियमों को पूर्णतया मानने को बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मांगने पर उसको प्रस्तावित इकाई/प्रोजेक्ट से संबंधित नियमित रूप में इकाई/प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट भेजता रहूंगा/रहूंगी तथा प्रत्येक वर्ष बैलेन्स शीट की एक प्रति खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भोपाल/मुम्बई कार्यालय को देने को बाध्य रहूंगा/रहूंगी
5. मेरे द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत वित्तीय सहायता/ऋण प्राप्त करने हेतु प्रोजेक्ट (आवेदन पत्र) के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज पूर्णतया सही हैं एवं कोई भी बात छिपाई नहीं गयी है तथा इसमें सारी बातें मेरे ज्ञान से पूर्णतया सही हैं तथा इसमें से कोई भी बात गलत होने पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग व संबंधित बैंक मेरे से सारी अनुदान व ऋण राशि एक मुश्त ब्याज सहित वापस लेने हेतु पूर्णतया अधिकृत होंगे तथा कानूनी कार्यवाही करने हेतु भी अधिकृत होंगे ।
6. प्रोजेक्ट/इकाई स्वीकृत होने पर मैं इकाई के मुख्य द्वार पर इकाई का नाम, बैंक का नाम व खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत अनुदान प्राप्त इकाई का बोर्ड निर्धारित प्रारूप में डिस्टले करूंगा/करूंगी ।
7. मैंने व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने पूर्व में आर.ई.जी.पी./पी.एम.ई.जी.पी. योजना अथवा राज्य/केन्द्र सरकार की किसी भी सहायता/अनुदान प्राप्त योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लिया है ।

शपथग्रहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहीता शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी बातें मैंने अपनी जानकारी में पूर्णतया सही सही लिखी हैं तथा कोई भी बात/तथ्य गलत त्रुटि साबित होने पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान व वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण ब्याज सहित लौटा दूंगा/दूंगी तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग/बैंक इसके अलावा कोई भी विधि सम्मत कार्यवाही कर सकेगा ।

शपथग्रहीता

१०/१५